तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज अपील 15/2016 सरकार तह0 कुम्हेर बनाम रामचन्द, कौशल्या वगै0
22.02.2018	आज पत्रावली पेश हुई। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। वकील गैर सायल उपस्थित। गत कई पेशयों से यह पत्रावली प्रार्थी/तहसीलदार कुम्हेर से वांछित रिपोर्ट के अभाव में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 16.05.2013 की प्रति के साथ प्राप्त हुई है। निर्णयानुसार माननीय मण्डल के अनुसार प्रकरण में यह क्लीयर किया जाना है कि खातेदारी किस ख0नं0 351 रकवा 13 बीघा 18 विस्वा में गै0मु0 पोखर केवल 4 बीघा को रकबा 10 बीघा 18 विस्वा पुनः राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की अभिशंषा किस आधार पर की है? जबकि इस खसरा की भूमि में 3 बीघा 18 विस्वा वारानी दर्ज है। वारानी भूमि पर किस प्रकार से मौरूसी या गैर मौरूसी को खातेदारी अधिकार कैसे नहीं मिल सकते है। लिहाजा यह प्रकरण पूर्ण विवेचना के साथ अभिलेखानुसार नहीं भिजवाया जाना स्पष्ट होता है। प्रार्थी/तहसीलदार कुम्हेर द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 16.05.2013 की मंशा के अनुसार न तो अपना प्रत्युत्तर ही भिजवाया गया है और न ही वांछित दस्तावेजात उपलबध कराये है। ऐसी स्थिति में भूमिधारी तहसीलदार कुम्हेर को मण्डल के निर्णय दिनांक 16.05.13 की प्रति पेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि मण्डल के निर्णय की अक्षरशः पालना करते हुये यदि बाद जुाच /बाद वांछित रिकॉर्ड पूर्ति यह प्रकरण रेफरेंस योग्य पाया जाता है तो ही पुनः नये सिरे से 2 माह के भीतर–भीतर पेश करने की स्वतन्त्रता के साथ यह पत्रावली इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार कुम्हेर को पालना हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसलशुमार की जाकर पत्रावली फैसलशुमार की जाकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे। आज्ञा सुनाई गई। **अतिरिक्त जिला कलक्टर** **भरतपुर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official